**न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट**
**न्याय कक्ष संख्या–02, बुलन्दशहर।**

नरेश बनाम अज्ञात।
कम्प्यूटर संख्या– 378/2026
मु०अ०सं०: 341/2023
एफ०आर० संख्या– 34 सन् 2023
धाराः 363 भा०दं०सं०
थानाः औरंगाबाद, जिला बुलन्दशहर।
दिनांकः 15.05.2026

पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया गया है वादी ने उक्त मुकदमा अपने पुत्र के गायब हो जाने की बावत थाने पर दर्ज कराया था। वादी का पुत्र नाराज होकर रिश्तेदारी में जाकर छुप गया था, जो वादी को मिल गया, जिससे सारी जानकारी वादी को हुयी, जिस पर पुलिस ने अपनी फाईनल रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की है। वादी उक्त एफ०आर० से संतुष्ट है और अन्य कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता है। अतः एफ०आर० स्वीकार की जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

उक्त मामले में विवेचक द्वारा यह पाया गया कि मुकदमा उपरोक्त में गुमशुदा का स्वंय अपनी मर्जी से घर से बिना बताये जाना पाया गया है और किसी के द्वारा बहला फुसलाकर नहीं ले जाना पाया गया है तथा विवेचना से किसी अपराध का नहीं होना पाया गया है, जिसके कारण अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

प्रकरण में विवेचक द्वारा बाद विवेचना उक्त प्रकरण में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित किए जाने के उपरांत वादी मुकदमा द्वारा विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या के विरोध में प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में यह न्यायालय विवेचक द्वारा की गयी विवेचना एवं निकाले गए परिणाम से संतुष्ट है। न्यायहित में विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या स्वीकार किए जाने योग्य है।

**आदेश**

विवेचक द्वारा प्रेषित एफ 0 आर 0 स्वीकार की जाती है।

पत्रावली अभिलेखागार में दाखिल हो।

**दिनांक 15/05/2026**

**(कोमल शुक्ला)**
अपर मुख्य न्या0 मजि०
न्याय.कक्ष सं0–02, बुलन्दशहर।
जे०ओ०कोड–यू०पी० 2509

प्रदीप कुमार आशुलिपिक